भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 376

(जिसका उत्तर सोमवार, 05 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है)

उच्च मुद्रास्फीति

376. कुंवर दानिश अली:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में खुदरा और थोक मुद्रास्फीति में रिकार्ड वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) मुद्रास्फीति की बढ़ती दर के लिए खाद्य पदार्थों और ईंधन की बढ़ती कीमतें किस हद तक जिम्मेदार हैं;

(घ) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति की दरों के बीच अंतर को दर्शाने वाला ब्यौरा क्या है तथा परिवारों और नौकरियों पर मुद्रास्फीति का क्या प्रभाव पड़ा है;

(ङ) देश में थोक और खुदरा मुद्रास्फीति में वृद्धि करने में योगदान देने वाली प्रमुख वस्तुओं का ब्यौरा क्या है और पेट्रोल, डीजल और ऑटो गैस पर करों का ब्यौरा/विवरण क्या है और थोक और खुदरा मुद्रास्फीति में वृद्धि में उनका कितने प्रतिशत योगदान है;

(च) क्या सरकार द्वारा महंगाई की दर को नियंत्रित करने और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है या इस संबंध में कोई कदम उठाए गए हैं; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा मुद्रास्फीति को कम करने के लिए किए गए विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप प्रदर्शित परिणामों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति वर्ष 2023-24 (अप्रैल-दिसंबर) में घटकर 5.5 प्रतिशत हो गई, जबकि 2022-23 (अप्रैल-दिसंबर) में यह 6.8 प्रतिशत थी। वित्त वर्ष 24 (अप्रैल-दिसंबर) में थोक मूल्य मुद्रास्फीति की दर (-) 1.1 प्रतिशत थी, जो विगत आठ वर्षों में सबसे कम थी। अस्थायी मूल्य दबाव वैश्विक उतार-चढ़ाव और प्रतिकूल मौसम स्थितियों से उत्पन्न मांग-आपूर्ति की विसंगतियों के कारण होते हैं। सरकार द्वारा सक्रिय आपूर्ति-पक्ष संबंधी पहलों और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में सहायता मिली है।

(ग): 'खाद्य और पेय पदार्थ' समूह और 'ईंधन और प्रकाश' समूह ने 2023-24 (अप्रैल-दिसंबर) में समग्र खुदरा मुद्रास्फीति में क्रमशः 57.7 प्रतिशत और 2.8 प्रतिशत का योगदान दिया।

(घ) विगत पांच वर्षों और चालू वर्ष के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-संयुक्त पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति दर नीचे दी गई हैः

2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (अप्रैल-दिसंबर)
3.4	4.8	6.2	5.5	6.7	5.5

उचित आपूर्ति पक्ष और व्यापार नीति पहलों के साथ-साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त खाद्यान्न के प्रावधान और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए एलपीजी की लक्षित सब्सिडी में वृद्धि जैसे उपायों ने उचित मूल्य पर परिवारों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने में मदद की। वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार, बेरोजगारी दर (सामान्य स्थिति के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्ति) 2017-18 में 6 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 3.2 प्रतिशत हो गई, साथ ही श्रम बल भागीदारी दर में एक साथ वृद्धि 2017-18 में 49.8 प्रतिशत से बढ़कर 2022-23 में 57.9 प्रतिशत हो गई।

(ड़): अप्रैल-दिसंबर 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति में योगदान देने वाली प्रमुख वस्तुएं गैर-पीडीएस चावल और गेहूं/आटा, तरल दूध, किराये का भुगतान, जीरा, दवा, अरहर, प्याज, लहसुन आदि हैं। अप्रैल-दिसंबर 2023 में थोक मुद्रास्फीति में योगदान देने वाली प्रमुख वस्तुएं हाई-स्पीड डीजल, कॉटन यार्न, पाम ऑयल, टमाटर आदि हैं। पेट्रोल पर कुल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 19.90 रुपए प्रति लीटर और हाई स्पीड डीजल पर 1580 रुपए प्रति लीटर है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस पर कुल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 14 प्रतिशत है और संपीड़ित प्राकृतिक गैस पर यह शून्य है।

(च) और (छ): सरकार ने 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2026 की अवधि के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य को 4 प्रतिशत के रूप में अधिसूचित किया है, जिसमें 6 प्रतिशत का ऊपरी छूट स्तर और 2 प्रतिशत का निम्न छूट स्तर है। मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में अन्य मामलों के साथ-साथ प्रमुख खाद्य वस्तुओं के बफर को सुदृढ़ करना और आवधिक रूप से खुले बाजार में निधियां जारी करना, आवश्यक खाद्य वस्तुओं के आयात को सरल बनाना, जमाखोरी रोकना और निर्दिष्ट खुदरा बिक्री केन्द्रों के जरिए आपूर्तियों को मार्गीकृत करना शामिल है। इसके परिणामस्वरूप खुदरा मुद्रास्फीति अब स्थिर है और अधिसूचित छूट बैंड की सीमा में है। सरकार रोजगार और आजीविका का सृजन करने तथा लोगों की नियोजनीयता में सुधार करने के लिए कई योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। इनमें आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि शामिल हैं।